न्यायालयः–माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

III/ निगरानी/ अशोकनगर/ भू.रा/2018/1433

प्रक0 /2018 निगरानी

श्री S. P. Dhakad Adv. द्वारा आज दि0 26-2-18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 6-3-18 नियत। 26-2-18 क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

हुसैन खां पुत्र कमाल खां निवासी ग्राम राजपुर तहसील व जिला अशोकनगर म.प्र.

—— **आवेदक**

विरूद्ध

म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर जिला अशोकनगर

—— **अनावेदक**

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 न्यायालय कलेक्टर जिला अशोकनगर के प्र.क. 24/निगरानी स्वमेव/2014–15 मे पारित आदेश दिनांक 27.12.2017 के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से निगरानी निम्न प्रकार पेश है :–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्यः–

कार्यालय महाधिवक्ता, ग्वालियर अग्रिम प्रति... पृष्ठ क्र... दिनांक 26/2/18 हस्ताक्षर व नाम...

1. यह कि, प्रकरण की वास्तविक स्थित इस प्रकार है कि ग्राम राजपुर तहसील व जिला अशोकनगर मे स्थित भूमि सर्वे क. 1102 मिंन रकवा 5.833 हें. में से रकवा 0.836 हें. पर कब्जे के आधार पर पटटा ग्रहीता द्वारा नायव तहसीलदार अशोकनगर के समक्ष एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया उक्त आवेदन पत्र पर से प्रकरण क. 222/1993–94/अ–19 पर पंजीवद्ध किया गया। आपत्ति आहुत की गई समयावधि मे कोई आपत्ती प्राप्त नही हुई तथा पटटा ग्रहीतागण स्वयं के कथन लिये गये पटवारी हल्का से स्थल निरीक्षण कराया गया स्वतंत्र साक्ष्य भी ली गई। विधिवत कार्यवाही सम्पन्न करते हुये पटटा ग्रहीता के हित मे आदेश दिनांक 23.08.1994 से पटटा स्वीकृत किया गया। उक्त प्रकरण को शिकायत के आधार पर श्रीमान कलेक्टर महोदय अशोकनगर द्वारा

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

(5)

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक तीन/निग/अशो0/भू.रा./2018/1433

हुसैन खॉ विरूद्ध शासन

	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-04-18	प्रकरण में आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एस0पी0 धाकड़ उपस्थित। प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता को ग्राह्यता एवं स्थगन के बिन्दु पर सुना गया। 2- यह निगरानी कलेक्टर अशोकनगर जिला अशोकनगर के प्रकरण क्रमांक 24/स्व0निग0/2024-15 में पारित आदेश दिनांक 27.12.17 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। 3- प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता के तर्क श्रवण किए गये। आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में मुख्य रूप से वहीं तर्क प्रस्तुत किए गये जो निगरानी मेमो में अंकित हैं जिन्हें यहां दुहराए जाकर पुन: उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है किन्तु निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों पर विचार किया गया है। 4- आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को एवं निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों के अनुक्रम में अधीनस्थ न्यायालय के प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 03.03.18 की प्रमाणित प्रति का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया गया कि अधीनस्थ विद्वान कलेक्टर द्वारा अपने प्रश्नाधीन आदेश में विधिसंमत एवं सारगर्भित व्याख्या करते हुए आदेश पारित किया गया है। चूंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आक्षेपित आदेश में विस्तृत व्याख्या की गयी है जिसे इस	

-3

प्रकरण क्रमांक तीन/निग/अशो0/भू.रा./2018/1433

हुसैन खॉ विरूद्ध शासन

आदेश में पुन: उल्लेखित कर पुनरांकित नहीं किया जा रहा है अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गयी व्याख्या इस आदेश का अंग होगा।अधीनस्थ न्यायालय के प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 27.12.17 के बिन्दु क्रमांक 1 लगायत 6 में की गयी व्याख्या से मैं सहमत हूं। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के प्रश्नाधीन आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। परिणामस्वरूप उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों में प्रकरण में ग्राह्यता का पर्याप्त एवं समुचित आधार न होने से यह निगरानी अग्राह्य की जाती है। प्रकरण दा.रि.हो।

(डॉ0एम0के0अग्रवाल)
सदस्य